राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 72/2015

नारायण लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, Bhinder.

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.01.2015
आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 23.12.2014 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर ग्राम पंचायत सिंहाड में कार्य कर रहा है और उसे ग्राम पंचायत चारगदीया का भी अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट लगने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। सिंहाड ग्राम पंचायत के लिए मैसर्स मिहिर सोलर को उक्त सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का ठेका दिया गया। उक्त कार्यों की सूचना ग्राम सेवक द्वारा जिला परिषद्, उदयपुर को भेजी गई। अपीलार्थी से पत्र दिनांक 10.07.2014 के द्वारा उक्त लाईट खरीदने के बारे में सूचना मांगी गई। अपीलार्थी द्वारा विस्तृत जवाब प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया, परंतु बिना कोई जांच किए और बिना अपीलार्थी के जवाब को निरस्त किए और न ही अपीलार्थी को सूचित किया गया, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्ट्रीट लाईट खरीदने के संबंध में आदेश दिनांक 23.12.2014 के द्वारा राशि रूपये 68,400/– सिंहाड ग्राम पंचायत से एवं राशि रूपये 45,600/– चारगदीया ग्राम पंचायत से अपीलार्थी के विरूद्ध वसूल किए जाने के आदेश जारी किए गए, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 23.12.2014 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत सिंहाड में कार्यरत है और ग्राम पंचायत चारगदीया का अतिरिक्त चार्ज है। ग्राम पंचायत सिंहाड में वर्ष 2013–14 के तहत 6 सोलर स्ट्रीट लाईट तथा ग्राम पंचायत चारगदीया में 10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्यादेश जारी किया गया, जिसके क्रम में उक्त लाईटें स्थापित करवाई गई और भौतिक सत्यापन पंचायत समिति भिंडर द्वारा किया जाकर जिला परिषद को सूचना प्रेषित की गई। जिला परिषद, उदयपुर ने सोलर स्ट्रीट लाईट खुली निविदा से क्रय नहीं किए जाने, निर्धारित क्षमता एवं मानकों से कम स्तर की क्रय किए जाने तथा बाजार दरों से उच्च दरों पर लाईटें क्रय किए जाने को लेकर विभिन्न आपत्तियों के साथ स्पष्टीकरण चाहा गया। अपीलार्थी ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और नियम तथा राजस्थान लेखा एवं वित्त नियमों में वर्णित प्रावधानों की घोर अवहेलना करते हुए वित्तीय अनियमितताएं कारित करते हुए पदीय दुरूपयोग किया और मिलीभगत करके बिना किसी प्रावधान के स्वयं के स्तर से कुल 10 लाईटें स्थापित की कार्यवाही करते हुए वित्तीय अनियमितताएं एवं राजकोष को क्षति पहुंचाई है। बिना किसी प्रावधान के और बिना किसी निविदाएं आमंत्रित किए सचिव एवं सरपंच ने क्रय कमेटी के बिना ही अपने स्वयं के स्तर से कुल 10 स्ट्रीट लाईट स्थापित किए जाने की कार्यवाही करते हुए वित्तीय अनियमितताएं करते हुए राजकोष को क्षति पहुंचाई है। उक्तानुसार अपीलार्थी से राशि रूपये 1,14,000/– वसूलनीय है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.07.2014 की अनुपालना में जिला परिषद स्तर पर तकनीकी अधिकारी एवं लेखाधिकारी की जांच टीम गठित दल ने उक्त दोनों ग्राम पंचायतों के रिकार्ड से क्रय संबंधित समस्त दस्तावेज प्राप्त करते हुए अनियमितताओं की जांच की गई और जांच परिणाम के आधार पर दोषी जनप्रतिनिधि एवं कार्मिकों से अनियमित भुगतान की राशि की वसूली संबंधित कार्यवाही अमल में लाई गई। जांच परिणाम उपरांत ही अपीलार्थी से राशि रूपये 1,14,000/– वसूलनीय है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर ग्राम पंचायत सिंहाड में कार्य कर रहा है और उसके पास ग्राम पंचायत चारगदीया का भी अतिरिक्त चार्ज है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट लगने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से पत्र दिनांक 10.07.2014 के द्वारा उक्त लाईट खरीदने के बारे में सूचना मांगी गई। जहां तक अपीलार्थी से राशि रूपये 1,14,000/– वसूल किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि सोलर स्ट्रीट लाईट के अलावा नए कार्य की स्वीकृति और सामग्री क्रय हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्रय कमेटी गठित की हुई है, जिसमें सरपंच अध्यक्ष और उप सरपंच एवं सर्तकर्ता समिति का अध्यक्ष तथा पंचायत समिति का कनिष्ठ अभियंता और पंचायत समिति के लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार सदस्य हैं। कमेटी की गणपूर्ति के लिए कनिष्ठ अभियंता और लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की उपस्थिति आवश्यक है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो चुके हैं। इन नियमों के अनुसार सोर उपस्कर तथा उनसे संबंधित सेवाएं राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स और इंस्ट्रुमेण्ट लिमिटेड से बिना निविदा के लिए जाने के प्रावधान हैं। उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए बिना कोई निविदाएं आमंत्रित किए सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत सिंहाड और चारगदीया ने क्रय कमेटी के बिना ही अपने स्वयं के स्तर से 10 सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापित किए जाने की कार्यवाही करते हुए वित्तीय अनियमितताएं एवं राजकोष को क्षति पहुंचाई है और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी ने उक्त नियमों के विपरीत जाकर कृत्य किया है। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य